



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया (बालू घाट, ब्लॉक-48, गया मोहाना: 04/05/06 स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O- 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया (बालू घाट, ब्लॉक-48, गया मोहाना: 04/05/06 स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 29.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया (बालू घाट, ब्लॉक-48, गया मोहाना: 04/05/06 स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

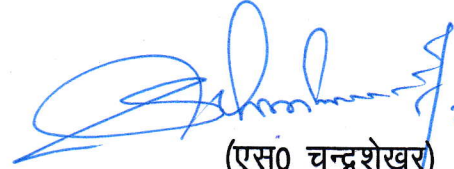
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1872

पटना, दिनांक :- 21.9.23

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 29.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 29.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

 21/9/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया द्वारा गया बालू घाट, ब्लॉक-48, (गया मोहाना: 04/05/06) स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 29.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, मोहनपुर, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2376/2023, dated 04.05.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक 29.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय, मोहनपुर, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 27.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया बालू घाट, ब्लॉक-48, (गया मोहाना: 04/05/06) स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक

जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित

होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

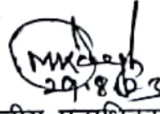
क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री विक्की कुमार सिंह, पता: मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान रोजगार देने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री विक्की कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री विकास कुमार, पता: सूर्यामुरया, मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू खनन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय क्षति के रोक-थाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो एवं खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा, जिससे पर्यावरण को क्षति न पहुँच सके। इसप्रकार श्री विकास कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

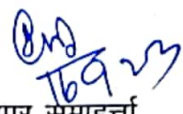
3.	श्री सुरेन्द्र यादव, पता: मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा एवं बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री सुरेन्द्र यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री हृदय कुमार, पता: सिमरा, मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मत लेसी द्वारा कराया जायेगा। इसप्रकार श्री हृदय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
5.	श्री पिन्दु कुमार, पता: सिमरा, मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान अत्यधिक ट्रक-टैक्डर के आवगमन से पर्यावरण संरक्षण; से संबंधित प्रश्न पूछा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नहीं करने का निदेश दिया गया साथ ही तेज ध्वनि वाला हॉर्न का उपयोग नहीं करेंगे।

		इसप्रकार श्री पिन्दु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	मो० आलम, पता: मोहनपुर सीरीयोंवा पंचायत, जिला: गया।	इनके द्वारा इनके ग्रामीण क्षेत्र में पीने वाले पानी की व्यवस्था; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह पर पेय जल की व्यवस्था कराया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को पेय जल की परेशानी न हो। इसप्रकार मो० आलम को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
7.	श्री जगदीश मौंझी, पता: नूतनबीधा, मोहनपुर, जिला: गया।	इनके द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र में पीने वाले पानी की व्यवस्था; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह पर पेय जल की समस्या के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बोरिंग की सुविधा भी कराया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को जल की परेशानी न हो। इसप्रकार श्री जगदीश मौंझी को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
वि.रा.प्र.नि.पर्वद,
गया


अपर समाहर्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया द्वारा बालू घाट, ब्लॉक-48, गया मोहाना: 04/05/06 स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसौला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 29.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय: मोहनपुर, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अजित कुमार	आर एम एन गया	By 29/8/23
2.	Mahuramjan K. Singh	R.O, B. L. P. C. Block Gaya	 29/8/23
3.	Kunal Kashyap	Bhagalpur, Bihar (CRIPPL)	Kunal 29/8/23
4.	Harshvard Kumar	patna (CRIPPL)	Harshvard 29/8/23
5.	Dharendra Kumar	Ramya Construction Pvt Ltd. SI. A.P. Galgay, Gaya. 823001	Dharendra Kumar
6.	Rajkumar Sunder.	Shahpur Gaya Bihar	 29/08/23
7.	Ad. W. K. Singh 9004274955	mohanpur	Ad. W. K.
8.	मो मुनवल 9029505791	मोहनपुर	मो मुनवल

9.	Md Tabrez Alam 850685 8980	Mohanpur	Md. Ta
10.	મોહનવાજ 8799797169	મોહનપુર	મોહનવાજ
11.	મો. ઓરંગઝેબ 9871733648	મોહનપુર	મો. ઓરંગઝેબ
12.	મો. ફતેહાજી 9123781938	મોહનપુર	મો. ફતેહાજી
13.	મો. ઓરંગઝેબ 9038770097	મોહનપુર	મો. ઓરંગઝેબ
14.	મો. Ghobabuddin 9518587272	મોહનપુર	મો. Ghobabuddin
15.	મો. મહતાવ 8799797163	મોહનપુર	મો. મહતાવ
16.	મો. જમાલ 7210657173	મોહનપુર	મો. જમાલ
17.	મો. જમાલ 9934069504	મોહનપુર	મો. જમાલ
18.	મો. વિન્ડ મોહી લીમન મોહી	મોહનપુર	મો. વિન્ડ મોહી લીમન મોહી
19.	લીમન મોહી	મોહનપુર	લીમન મોહી

मक वि
मका
मका

20.	भागरीत मांडी	मोहनपुर	भागरीत मांडी
21.	संतोष मांडी	मोहनपुर	संतोष मांडी
22.	दानोक मांडी	मोहनपुर	दानोक मांडी
23.	राजेश मांडी	मोहनपुर	राजेश मांडी
24.	चनीरक मांडी	मोहनपुर	चनीरक मांडी
25.	उपेन्द्र मांडी	मोहनपुर	उपेन्द्र मांडी
26.	कास मांडी	मोहनपुर	कास मांडी
27.	वीरीस मांडी	मोहनपुर	वीरीस मांडी
28.	जगदेश मांडी	मोहनपुर	जगदेश मांडी
29.	Dharendra kumar डायरेक्टर	डा. वि. लोहागप)	Dharendra kumar
30.	Dr. K. K. Singh	मोहनपुर	Dr. K. K. Singh

	बलिमारी 7667161591	बलिमारी	लिन
32.	शिवधर झा 6200015046	पाठक गौरव	Pr
33.	सत्येंद्र झा 8825310776	पाठक गौरव	सत्येंद्र झा
34.	बलराम झा 6282371797	बलिमारी	Balram
35.	सुभाष झा 6299910688	सिमरा	Bu
36.	विनय कुमार 914436426	छोटकी विदिपा	vinay kumar
37.	Santosh Kumar 8114589116	सुदीमा गौरव	Santosh. Kumar
38.	अरविन्द यादव 6201012725	सुदीमा गौरव	Arvind Yadav
39.	दिनेश यादव 9801742517	सुदीमा गौरव	दिनेश यादव
40.	राज कुमार 9934649380	सुदीमा गौरव	राज कुमार
41.	विकास कुमार 9852536202	" "	विकास कुमार

42.	विमलेश यादव 7300795706	हुदिमा मोहंल	विमलेश यादव
43.	कुलेश मोदी	अम लीखा	
44.	7250331066 Lalash Yadav	Simsha.	Lalash Yadav
45.	9060717784 Chandan Kumar	Simsha.	Chandan Kumar
46.	7764962963 Anand Kumar	Simsha	Anand Kumar
47.	उपेश कुमार 9199185562	Simsha	उपेश कुमार
48.	मोनेश कुमार 9546379849	मिनिपावा	मोनेश कुमार
49.	युगेश कुमार 9934672132	मुनिपावा प्रतिनिधि मिनिपावा पंचायत	युगेश कुमार
50.	विवेक कुमार 9934952476	मोहनपुर	विवेक कुमार
51.	अरविंद कुमार 7870623924	मोहनपुर	अरविंद कुमार
52.	अरविंद कुमार 7782892288	धनीचक	अरविंद कुमार
53.	रुद्रेश कुमार 9546192419	धनीचक	रुद्रेश कुमार
54.	गोविंद प्रसाद यादव 6200767777	मिनिपावा	गोविंद प्रसाद यादव
55.	राजु राउत 7250476383	मिनिपावा	राजु राउत

56	पिन्डू कुमार मार 6200436954	सिमरा	मिथरा
57	Mulash Kumar 9852567508	सिमरा	मिथरा
58	Gurdeep Singh 7870832667	सिमरा	मिथरा
59	हृदय - कुमार	सिमरा 9939894409	मिथरा
60	रमेश कुमार 7070715445	सिमरा	मिथरा
61	राम चरित रमा 9199463424	सिमरा चौराहा	राम चरित रमा
62	सुरेन्द्र कुमार 9572404229	चौराहा	सुरेन्द्र कुमार
63	लाभतरी देवी	मोहनपुर	मोहनपुर देवी
64	कमला देवी	"	
65	दमती देवी	"	
66	शंती देवी	"	
67	कोशीला देवी	"	
68	प्रियंका देवी	"	प्रियंका देवी
69	सुप्रीता देवी	"	सुप्रीता देवी
70	नंदनी देवी	"	नंदनी देवी
71	सविता देवी	"	
72	सुमती देवी	"	



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

ई-मेल- msbspcb-bih@gov.in, वेबसाइट- <http://bspcb.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं यथा संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 51 ए. पी. कॉलोनी, जिला-गया द्वारा बालू घाट, ब्लॉक-48, (गया मोहाना: 04/05/06) स्थित मोहाना नदी, ग्राम-इतवान, सरंचक, बुलाकीचक, धोरी, महियाँ, अजनावां, जरियाही, मुसैला, और शाहपुर, अंचल-मोहनपुर, जिला-गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी हैं तथा लोक-सुनवाई की जानी हैं।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया हैं। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद के वेबसाइट: <http://bspcb.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद के ई-मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
29.08.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	मोहनपुर जिला-गया	गया जिला अन्तर्गत इतवान	गया मोहाना: 04/05/06	अंचल कार्यालय, मोहनपुर, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध हैं कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाईड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेगें।

सदस्य सचिव





